बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि ८ फरवरी १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि ८ फरवरी १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers

भागलपुर में इम्प्रूभमेंट ट्रस्ट की स्थापना।

१३३। श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—क्या मंत्री, स्थानीय स्व-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या सरकार भागलपुर में इम्प्रूभमेंट ट्रस्ट की स्थापना करने का विचार रखती है, अगर हां, तो कब तक;

(२) इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन-सा कदम उठाया है?

*श्री सहदेव महता—(१) और (२) विषय सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और यह शीघ्र ही होने वाला है, किन्तु स्थापना का निश्चित समय बताना अभी संभव नहीं है।

सड़क का पक्कीकरण।

१३४। श्री रामदेव सिंह—क्या मंत्री, स्थानीय स्व-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिला बोर्ड ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला बोर्ड की छपरा-दरौली सड़क के ८ मील (सिसवन-रघुनाथपुर थाने के बीच के हिस्से) को कुछ विशेष कारणों से पक्की बनाने के लिये करीब ५ लाख रुपये का एक प्लान एस्टीमेट बनाकर स्वीकृति के लिये सरकार को आज से ५-६ माह पहले भेजा है;

(२) क्या यह बात सही है कि उसकी स्वीकृति अभी तक वहां इसलिये नहीं गयी कि उस प्लान एस्टीमेट को तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर साहब की राय जानने के लिये उनके यहां भेजा गया लेकिन बार-बार रिमाइन्डर देने पर भी आज तक वह सरकार के पास वापस नहीं आया;

(३) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उस जन उपयोगी योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है?

श्री सहदेव महतो—(१) यह बात सही है कि सारन जिला बोर्ड ने छपरा-दरौली सड़क के सिसवन-रघुनाथपुर के बीच पड़नेवाले हिस्से के सुधार के बारे में ४,५७,३१७ रु० का प्राक्कलन सरकार के पास आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल के द्वारा सितम्बर, १९५९ में भेजा था।

(२) प्लैन और एस्टीमेट को तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त के पास नहीं भेजा गया था, बल्कि उपर्युक्त सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल की केवल राय मांगी गयी थी। इस सम्बन्ध में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल की सिफारिश प्राप्त हो चुकी है।

(३) सरकार ने छपरा-दरौली सड़क के सिसवन से रघुनाथपुर वाले हिस्से को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुधार करने के बारे में निर्णय कर लिया है। विशेष पदाधिकारी तथा स्थानीय कार्य निरीक्षक बिहार को प्लैन तथा एस्टीमेट की जांच करने का आदेश दिया गया है। एस्टीमेट के बारे में उनकी प्रावधिक स्वीकृति हो जाने के बाद सड़क के सुधार का कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया जायगा।

*श्री रसिक लाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अल्पसूचित प्रश्न है।

अध्यक्ष—अभी मेरे सामने कोई अल्पसूचित प्रश्न नहीं है।

श्री रसिक लाल यादव—अल्पसूचित प्रश्न के लिये आधा घंटा समय रहता है जो अभी बाकी है।

अध्यक्ष—ऐसा नियम नहीं है। आप नियम को ठीक से पढ़ें।

सारन जिला परिषद् को सरकारी अनुदान।

*१३५। श्री सभापति सिंह—क्या मंत्री, स्थानीय स्व-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिला परिषद् को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दस लाख रुपया बिहार सरकार द्वारा मिलना था जो नहीं मिला है;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर 'हां' में है, तो रुपया नहीं मिलने का क्या कारण है, तथा रुपया जिला परिषद्, सारन को शीघ्रातिशीघ्र मिल जाय इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है?

*प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री रामदेव सिंह के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

श्री सहदेव महतो—(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों तथा डाक और इंसपेक्शन बंगलों के सुधार के लिये सारन जिला बोर्ड को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्पूर्ण काल में ११,१६,४९३ रुपया मिलने वाला है जिसमें से अबतक कुल ६,१९,१२१ रु० मिल चुका है।

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये मिलनेवाली रकम योजना आयोग की स्वीकृति पर निर्भर करती है। चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित के लिये पूर्ण रकम की स्वीकृति अभीतक योजना आयोग से नहीं मिली है इसलिये सारन जिला बोर्ड को पूरा रुपया नहीं मिला है। सरकार इसके लिये पूरी कोशिश कर रही है कि जिला बोर्ड को पूरा रुपया शीघ्रातिशीघ्र मिल जाय।

डाकबंगले के चौकीदारों की नौकरी को स्थायी किया जाना।

१४०। श्री प्रभु नारायण राय—क्या मंत्री, स्थानीय स्व-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पन्द्रह डाकबंगलों के चौकीदारों को महंगाई सहित साढ़े सैंतीस रुपये प्रति माह दिये जा रहे हैं जब कि उनको चौबीस घंटे वहीं रहना पड़ता है;

(२) क्या यह बात सही है कि इन चौकीदारों की नौकरी अस्थायी ही है जब कि सुल्तानगंज के डाकबंगले के चौकीदार मधुकर यादव की नौकरी ४० वर्ष की, घोघा डाकबंगले के चौकीदार मोहन यादव की नौकरी ३० वर्ष की, विहपुर के चौकीदार घोषन मंडल की नौकरी १६ वर्ष की, नौगछिया के चौकीदार किसुन मंडल की नौकरी ११ वर्ष की, कहलगांव के चौकीदार श्रीधर यादव की नौकरी ८ वर्ष की है;

(३) क्या यह बात सही है कि इन चौकीदारों को सूती या ऊनी कोई भी कपड़ा नहीं दिया जाता है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इसका कारण क्या है और सरकार इनकी नौकरी को स्थायी करने तथा दूसरी सुविधाएं दिलाने के लिये क्या करना चाहती है?

श्री सहदेव महतो—(१), (२) और (३) उत्तर स्वीकारात्मक हैं।

(४) इसका कारण यह है कि इन चौकीदारों का वेतन जिस सड़क पर डाक बंगला स्थित है उस सड़क के वार्षिक मरम्मति आवंटित मद से दिया जाता है। ये आवंटन एक वर्ष के लिये ही चालू रहते हैं और सी कारण इन लोगों को नौकरी अस्थायी रहती है। अस्थाई रहने के कारण इन लोगों को सूती या ऊनी कपड़े या दूसरी सुविधायें नहीं दी जाती हैं। जिला परिषद् के अवकर्मण समय में सरकार उन चौकादारों को सेवा को स्थायी करने में असमर्थ है।

*श्री प्रभुनारायण राय—सरकार आगे इस पर विचार करना चाहती है जिससे उनकी सर्विस स्थायी की जा सके?